

## प्रेसनोट दिनांक 04.04.2021

1. दिनांक 03.04.21 को वादी उ0नि0 श्री शंकर लाल थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि संतोष कुमार दूबे पुत्र राजदेव दूबे नि0 सराय शेर खान थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 221/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 03.04.21 को वादी उ0नि0 श्री स्वतन्त्र कुमार मौर्या थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि प्रमोद मांझी पुत्र राम शरन नि0 मछुआना कटरा थाना रा0ज0भू0 अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 157/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 03.04.21 को वादी श्री महेश कुमार पुत्र बनारसी नि0 दौलतपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 एडब्लू 7596 मोटर साइकिल का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की माँ मातादेही को टक्कर मार देना जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 124/21 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 03.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अश्वनी प्रताप सिंह थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुकई पुत्र उसीराम नि0 जलालुद्दीन नगर थाना महाराजगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 117/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 03.04.21 को वादी उ0नि0 श्री राजकुमार पटेल थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिव नरायण पुत्र रामदीन नि0 दहेमा थाना भीटी जनपद अम्बेडकरनगर गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 74/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 03.04.21 को वादी उ0नि0 श्री राजकुमार पटेल थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विनोद कुमार पुत्र बुद्धिराम नि0 चिड़िहवा थाना हैदरगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 75/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 03.04.21 को वादी उ0नि0 श्री शशिकान्त पाण्डेय थाना तारुन अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि प्रतीक गोस्वामी पुत्र अवधेश गोस्वामी नि0 गौहनिया थाना तारुन अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु0अ0सं0 85/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 03.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामतेज पुत्र सालिकराम नि0 तरमा खुर्द थाना इनायतनगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 155/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 03.04.21 को वादी उ0नि0 श्री संतोष कुमार मौर्या थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो0 जावेद पुत्र जियाउल्लाह नि0 सोरांव पूरे हिजड़न थाना बल्दीराय सुलतानपुर गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 122/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 03.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि दीपक पुत्र झगरू नि0 हरिपाल का पुरवा हरदोईया थाना कुमारगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 124/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 03.04.21 को वादी उ0नि0 श्री सैय्यद तनवीर हैदर थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रवि पुत्र महाजन नि0 उस्मानपुर थाना खण्डासा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 59/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
12. दिनांक 03.04.21 को वादी उ0नि0 श्री राजीव सागर थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि फज्जू पुत्र राम बहोर नि0 उस्मानपुर थाना खण्डासा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 60/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
13. दिनांक 03.04.21 को वादी उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजकुमार पुत्र काली प्रसाद नि0 पाराखानी थाना खण्डासा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 61/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
14. दिनांक 03.04.21 को वादी उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि उदय राज पाण्डेय पुत्र श्याम राज पाण्डेय नि0 बरियारपुर थाना खण्डासा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 62/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0? का अभियोग पंजीकृत किया गया।
15. दिनांक 03.04.21 को वादी उ0नि0 श्री द्विवेश त्रिवेदी थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शकील उर्फ सुकरील पुत्र कुतुन नि0 हलीमनगर थाना को0रुदौली अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 01 अदद जिन्दा एवं 01 अदद मिस कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 155/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
16. दिनांक 03.04.21 को वादी श्री शंकर पुत्र बाबू नि0 कैथी मांझा थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि ननके पुत्र बाबू नि0 कैथी मांझा थाना को0रुदौली अयोध्या आदि 04 नफर भैस चराने के विवाद को लेकर अभि0गण द्वारा गाली व जान माल की धमकी देते हुए लाठी डण्डे से मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 156/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
17. दिनांक 03.04.21 को वादी उ0नि0 श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. लाल बहादुर पासी पुत्र मोती लाल 2. तिलकराम पुत्र बच्चू लाल नि0गण चिरकी मजरे ओरवा थाना खण्डासा अयोध्या सभी गिर0 अभि0गण के कब्जे से 20-20 लीटर कुल 40 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 157/21 धारा 60(2) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।